न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्रीमति गीतादवी पुत्री भुबा जी पत्नि श्री मोहनलाल, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा, हाल निवासी- शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही
2. श्री हकमा पुत्र थानाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा, तहसील- शिवगंज
3. श्री प्रेमाराम उर्फ हरीया पुत्र थानाजी, जाति-कुम्हार, निवासी- अरठवाठा, तह. शिवगंज
4. श्री महेन्द्र पुत्र हिमताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा, तहसील- शिवगंज
5. श्रीमती जरावी देवी पुत्री हिमता जी पत्नि हकमाराम जी, जाति- कुम्हार, निवासी- नया जोयला, तह. शिवगंज, जिला- सिरोही
6. श्रीमती दरगीदेवी उर्फ दुर्गा पुत्री हिमताजी पत्नि सुरेश कुमार जी, जाति- कुम्हार, निवासी- उथमण, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
7. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि हिमताजी, जाति-कुम्हार, निवासी- अरठवाडा, तहसील-शिवगंज

राजस्व अपील संख्याः 29/2015

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा, प्रत्यर्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1035 दिनांक 10.6.1992, 1036 दिनांक 10.6.1992 एवं 1037 दिनांक 10.6.1992 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। जिस पर अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से पेरोकार सरकार तथा प्रत्यर्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवड़ा उपस्थित हुये। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 4 ता 7 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 4 ता 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अपीलार्थी के पिता भुबाजी पुत्र थानाजी व उनके भाई हकमा, हिमता व प्रेमा उर्फ हरीया के अलावा अन्य सहखातेदारों की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम अरठवाडा में आई हुई है। ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के खसरा संख्या 495 रकबा 40.09 बीघा भूमि में प्रार्थी के पिता भुबाजी व उनके भाई हकमा, हिमता व प्रेमा उर्फ हरीया पुत्र थानाजी का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी दर्ज था। खसरा संख्या 496 रकबा 18 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के पिता भुबा व उनके भाई हकमा, हिमता व प्रेमा उर्फ हरीया पुत्र थानाजी का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज था। खसरा संख्या 146, 356 व 447 रकबा क्रमश: 8.05 बीघा, 5.08 बीघा व 0.08 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 14.01 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता भुबाजी व उनके भाई हकमा, हिमता व प्रेमा उर्फ हरिया पुत्र थानाजी के नाम खातेदारी की दर्ज थी। खसरा संख्या 215 रकबा 7.06 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता भुबाजी व उनके भाईयों का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज था एवं खसरा संख्या 588 व 589 रकबा क्रमश: 2.07 बीघा व 2.10 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता भुबाजी व उनके भाई हकमा, हिमता व प्रेमा उर्फ हरीया पुत्र थानाजी के नाम खातेदारी की दर्ज थी। यह कि अपीलार्थी के पिता भुबाजी पुत्र थानाजी की मृत्यु हो चुकी है एव अपीलार्थी के पिता भुबाजी पुत्र थानाजी की मृत्यु के बाद उनकी एक मात्र उत्तराधिकारी व वारिसान पुत्री गीता है। अपीलार्थी के पिता भुबाजी की प्रथम श्रेणी की एक मात्र उत्तराधिकारी अपीलार्थी गीता जीवित होने से स्वर्गीय भुबाजी पुत्र थानाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलार्थी गीता के नाम से दायर कर स्वीकृत करना चाहिये था, लेकिन राजस्व कार्मिक/अधिकारियों ने भूबाजी पुत्र थानाजी के जीवित उत्तराधिकारी के संबंध में जांच किये बिना ही अपीलार्थी के पिता भुबाजी के भाईयों से मेल मिलाप कर अपीलार्थी के पिता भुबाजी को नाऔलाद फौत बताते हुये प्रत्यर्थी संख्या- 2 व 3 तथा प्रत्यर्थी संख्या- 4 ता 7 के पिता/पति के पक्ष में प्रश्नगत नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत करवा लिये जो आरम्भत: शून्य एवं विधि विरुद्ध है तथा इन नामान्तरकरणों के आधार पर अपीलार्थी के पिता भुबाजी के हक हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 7 को कोई हक अधिकार पैदा नही होते है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थी के पिता भूबाजी की मृत्यु के बाद जब अपीलार्थी गीता बालिग हुई तो उसने उक्त कृषि भूमि में दर्ज अपने पिता के हक हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अपने पक्ष में करवाने हेतु तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अपीलार्थी इस विश्वास में रही कि राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज हो गया होगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रत्यर्थी हकमा पुत्र थानाजी द्वारा सहायक कलेक्टर, शिवगंज के न्यायालय में उक्त कृषि भूमि के बंटवाड के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया जिसके राजस्व वाद संख्या 188/2013 है। उक्त वाद में न्यायालय के आदेशानुसार हुए बंटवाड हेतु मौके पर हल्का पटवारी द्वारा बंटवाड के अनुसार नाप जोख करने पर अपीलार्थी गीता को हल्का पटवारी के माध्यम से दिनांक 28.4.2015 को प्रथम बार जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि में उसके पिता के दर्ज हक हिस्से में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही हुआ है, तब अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरणों व राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

11.5.2015 को इस न्यायालय में अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है, इसलिये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी के पिता भुबाजी के हक हिस्से की भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत नामान्तकरणों को निरस्त करवाने हेतु अपीलार्थी गीता ने स्वयं को मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थानाजी की पुत्री बताते हुये यह अपील प्रस्तुत की है, यदि अपीलार्थी गीता मृतक खातेदार भुबाजी की पुत्री है तो अपने कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित करे। भुबाजी की मृत्यु दिनांक 12.10.1990 को हुई थी, जबकि अपीलार्थी गीतादेवी द्वारा पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु पंजीयन से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथी 08.7.1992 अंकित की हुई है। ऐसी स्थिति में, भुबाजी की मृत्यु के करीब 20 माह बाद भुबाजी के पुत्री का जन्म होना कैसे संभव है। अपीलार्थी ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि वह स्वर्गीय भूबाजी की पुत्री हो। प्रत्यर्थी संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि भुबाजी की मृत्यु के समय उनके प्रथम श्रेणी के कोई उत्तराधिकारी नही होने से भुबाजी के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार के नामान्तरकरण भुबाजी के भाईयों प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 तथा प्रत्यर्थी संख्या- 4 ता 7 के पिता/पति के नाम नियमानुसार दायर होकर स्वीकृत हुये है। उक्त कृषि भूमि के मौके पर प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 7 अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबित चले आ रहे है। उक्त भूमि के मौके पर अपीलार्थी गीता का कभी भी कब्जा-काश्त नही रहा है। नामान्तरकरण एक समरी व फिजकल प्रोसेडिंग है जिसके द्वारा अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी गीता स्वयं को स्वर्गीय भूबा जी की पुत्री समझती है तो हक अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये। प्रत्यर्थी संख्या- 2 व 3 ने न्यायिक दृष्टान्त 2016(1)CJ(Civ.)(SC) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार स्वर्गीय भुबाजी का स्वर्गवास वर्ष 2005 के पूर्व होने व नामान्तरकरण भी वर्ष 1992 में दर्ज व स्वीकृत होने से स्वर्गीय भूबाजी की तथाकथित पुत्री का भुबाजी की सम्पति में कानूनन कोई हक अधिकार पैदा नही होते है। प्रत्यर्थी संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता यह भी तर्क रहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण दिनांक 10.6.1992 को स्वीकृत हुये तथा इन नामान्तरकरणों के विरुद्ध यह अपील 23 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं इस विलम्ब के संबंध में कोई ठोस कारण नही दर्शाया है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के कथनों के जवाब में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त न्यायिक दृष्टान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा- 6 (यथा वर्ष 2005 के अधिनियम द्वारा संशोधित) के संबंध में है जो विचारणीय प्रकरण में लागू नही होता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में यह भी व्यक्त किया कि स्वर्गीय भुबाजी पुत्र थानाजी की एक मात्र जीवित उत्तराधिकारी अपीलार्थी गीता स्वयं है जो

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

स्वर्गीय भुबाजी की पुत्री है एवं एकमात्र प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। अपीलार्थी के पिता भुबाजी की मृत्यु के समय अपीलार्थी गीता अपने मां के गर्भ में थी एवं अपीलार्थी के पिता भुबाजी की मृत्यु होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या- 2 व 3 ने व प्रत्यर्थी संख्या- 4 ता 7 के पिता/पति ने भुबाजी पुत्र थानाजी के हक हिस्से की कृषि भूमि को हड़पने की नियत से अपीलार्थी की गर्भवती माता को भुबाजी के घर से निकाल दिया, तब अपीलार्थी की माता अपने पीहर में रहने आ गई तथा अपीलार्थी का जन्म अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के बाद ननिहाल अर्थात् अपीलार्थी की माता के पीहर में हुआ है। तब से अपीलार्थी अपनी माता के साथ ननिहाल में ही रहती थी और ननिहाल में ही बढी हुई है। अपीलार्थी ग्रामीण तबके की महिला है तथा अपीलार्थी का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद होने से अपीलार्थी को उसकी जन्म की सही तिथि याद नही होने के कारण प्रमाण पत्र में जन्म की सही तिथि अंकित नही करवा सकी है। अपीलार्थी के नाम से आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड में अपीलार्थी के पिता का नाम भुबाराम अंकित है एवं जन्म प्रमाण पत्र में भी अपीलार्थी के पिता का नाम भुबाराम अंकित है तथा कक्षा 5 वीं बोर्ड परीक्षा 2002 के प्रमाण पत्र में भी अपीलार्थी गीता के पिता का नाम भूबाराम अंकित है। इन दस्तावेजों से यह साबित है कि अपीलार्थी मृतक खातेदार भुबा जी की पुत्री है। यदि अपीलार्थी गीता मृतक भुबा जी पुत्र थाना जी की पुत्री नही होती तो प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 7 द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा अवश्य दर्ज करवाया जाता, लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही प्रत्यर्थीगण ने नही की है। अपीलार्थी के काका प्रेमाराम के पुत्र अर्थात् अपीलार्थी गीता के चचेरे भाई टिनेशकुमार के विवाह की निमंत्रण पत्रिका में भी अपीलार्थी के काका प्रेमाराम ने जंवाई पक्ष में अपीलार्थी गीता व उसके पति का नाम लिखवाया है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या- 2 ता 7 को भी यह तथ्य भलीभांति मालूम है कि अपीलार्थी गीता मृतक भुबाजी पुत्र थाना जी की पुत्री है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के खसरा संख्या 495 रकबा 40.09 बीघा व खसरा संख्या 496 रकबा 18 बिस्वा भूमि के संयुक्त खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1035 एवं खसरा संख्या 146, 356 व 447 रकबा क्रमशः 8.05 बीघा, 5.08 बीघा व 0.08 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 14.01 बीघा व खसरा संख्या 215 रकबा 7.06 बीघा भूमि के संयुक्त खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1036 तथा खसरा संख्या 588 व 589 रकबा क्रमशः 2.07 बीघा व 2.10 बीघा कुल किता 2 रकबा 4.17 बीघा कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार श्री भुबाजी पुत्र थाना जी कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1037 को हल्का पटवारी, अरठवाडा द्वारा मृतक खातेदार भुबा पुत्र थाना जी कुम्हार के भाईयों (प्रत्यर्थी संख्या- 2 व 3 तथा प्रत्यर्थी संख्या- 4 ता 7 के पिता/पति) के पक्ष में दायर किये गये जो तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 10.6.1992 को स्वीकृत किये गये है।

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रकरण में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 10.6.1992 को स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 1035, 1036 व 1036 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 11.5.2015 को अपील प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। जहां तक, यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है? अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अंकित किया है कि अपीलार्थी के पिता भूबाजी पुत्र थानाजी कुम्हार की मृत्यु के बाद अपीलार्थी के पिता भूबाजी की हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने की प्रथम बार जानकारी दिनांक 28.4.2015 को हल्का पटवारी के माध्यम से हुई। तब अपीलार्थी ने जमाबन्दी एवं नामान्तरकरणों की नकल प्राप्त कर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है जिससे अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है, इसलिये विलम्ब की अवधि क्षमा योग्य है। अपीलार्थी ने धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ है परन्तु प्रत्यर्थी पक्ष ने अपने जवाब के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थानाजी कुम्हार की मृत्यु के बाद राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही होने की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है तथा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है। विधिक दृष्टान्त आर.आर.सी. 1999 पेज 11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ''मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।'' ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए इस प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित पाया जाता है।

अपीलार्थी पक्ष का मुख्यतः तर्क यह है कि ''अपीलार्थी गीतादेवी जो कि स्वर्गीय भुबाजी पुत्र थाना जी कुम्हार की पुत्री है एवं स्वर्गीय भुबाजी की प्रथम श्रेणी की एकमात्र उत्तराधिकारी होने से स्वर्गीय भुबाजी पुत्र थानाजी की मृत्यु के बाद उनके हक हिस्से की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलार्थी गीतादेवी के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था।'' अपीलार्थी पक्ष ने अपने कथन के समर्थन आयकर विभाग द्वारा जारी Permanent Account Number Card, कक्षा 5 वीं बोर्ड परीक्षा 2002 के प्रमाण पत्र एवं अपीलार्थी गीता के जन्म प्रमाण पत्र की नोटेरी से सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत की है। उक्त तीनों दस्तावेजों में अपीलार्थी के पिता का नाम भुबाराम अंकित है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी गीतादेवी स्वर्गीय भुबाजी की पुत्री है, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा- 8 के अुनसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। इस प्रकार, अपीलार्थी अपने पिता भुबा जी के हक हिस्से की कृषि

....पेज छः पर

जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भूमि में अपना दर्ज करवाने का अधिकार रखती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार हिन्दू खातेदार के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत नामान्तरकरणों को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को मृतक खातेदार भूबाजी पुत्र थाना जी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच करके पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1035 दिनांक 10.6.1992, 1036 दिनांक 10.6.1992 एवं 1037 दिनांक 10.6.1992 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार भुबा जी पुत्र थाना जी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा के विधिक उत्तराधिरियों के संबंध में जांच करके पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

20/12/17

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

सिरोही